

स्वातंत्र्य 568

स्वातंत्र्य नं 00

न्यायालय उपजिलाधिकारी, इगलास(अलीगढ़)

वाद संख्या T-2018/8020300 983 अन्तर्गत धारा 80(1) उ0प्र0रा0सं0 2006

मौजा- अमरपुर दहाना

परगना- गोरई

तहसील-इगलास, जिला-अलीगढ़।

देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा प्रबंधक कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रभात नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा।

बनान

उ0प्र0 सरकार

आदेश दिनांक 13/05/2018

प्रस्तुत वाद देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रभात नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा की भूमि मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.54380 लगानी 92.19 पैसा में से रकवा 0.51180 लगानी 18.13 पैसा को धारा 80(1)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराने हेतु नायब तहसीलदार इगलास द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच आख्या दिनांक 21.09.2017 में इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रभात नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा की भूमि मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.54380 लगानी 92.19 पैसा में से रकवा 0.51180 लगानी 18.13 पैसा उक्त भूमि पर संक्रमणीय गृहधरो के रूप में दर्ज सहखातेदार कागजात हैं तथा काबिज व दाखिल हैं। उक्त भूमि कृषि कार्य अथवा कृषि कार्य से सम्बद्ध प्रयोग में नहीं आ रही है उपरोक्त मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.54380 लगानी 92.19 पैसा में से रकवा 0.51180 लगानी 18.13 पैसा को अकृषिक भूमि के रूप में घोषित कर दिया जाये।

प्रश्नगत प्रकरण में नायब तहसीलदार इगलास द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है। नायब तहसीलदार इगलास ने अपनी जांच आख्या दिनांक 21.09.2017 में संश्लेष किया है देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रभात नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा की भूमि मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.54380 लगानी 92.19 पैसा में से रकवा 0.51180 लगानी 18.13 पैसा पर दर्ज कागजात है। उपरोक्त भूमि को उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 80(1) के अन्तर्गत घोषित किये जाने हेतु जांच आख्या प्रेषित की गयी है। उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में चालान संख्या आई-110057 दिनांक 04.11.2016 को 14,000/-रु0 अकृषिक भूमि घोषित कराने हेतु शुल्क जमा किया गया है।

अतः नायब तहसीलदार इगलास की जांच आख्या दिनांक 21.09.2017 से सहमत होते हुये देव शिक्षा समिति ग्राम अमरपुर दहाना द्वारा कु0 मीनू पुत्री देवस्वरूप निवासी 252/53 प्रभात नगर बी0एस0ए0 कालेज रोड जिला मथुरा की भूमि मौजा अमरपुर दहाना के खाता संख्या 344 के गाटा संख्या 139/2.54380 लगानी 92.19 पैसा में से रकवा 0.51180 लगानी 18.13 पैसा भूमि को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। नायब तहसीलदार इगलास की जांच आख्या दिनांक 21.09.2017 इस आदेश का अंग रहेगी। यह उद्घोषणा मात्र भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु है। इसका प्रयोग किसी वाद में कानूनी साक्ष्य इत्यादि के लिए अनुमत्या नहीं होगा। यदि उपरोक्त भूमि पर कृषि आदि कार्य होना पाया जाता है तो यह उद्घोषणा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार इगलास/उप निबंधक इगलास को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल तबतक हो।
दिनांक :- 15मई,2018

रकम जमा की दिनांक 14/05/18
रकम जमा करने की दिनांक 15/05/18
रकम जमा करने की दिनांक 19/05/18

(आर0एस0 पाण्डेय)
उपजिलाधिकारी,
इगलास।



अतिरिक्त प्रतिनिधि

अतिरिक्त प्रतिनिधि
दिनांक 13/05/18

